न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 887/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गोविन्दसिंह 2 दीपसिंह पिसरान पदमसिंह 3 कंवराजसिंह 4 भूरसिंह 5 पारससिंह पिसरान अनोपसिंह 6 मथरीदेवी पत्नी अनोपसिंह 7 बाबूसिंह 8 जयसिंह पिसरान मालसिंह 9 उगमकंवर पत्नी मालसिंह 10 कुचटसिंह पुत्र जवारसिंह 11 मोहनसिंह पुत्र जवारसिंह जाति पुरोहित निवासी पिण्डियों का तला, आंटी तहसील व जिला बाडमेर।		1 पीरसिंह 2 हरीसिंह 3 मूलसिंह पिसरान रामसिंह 4 तरजू पत्नी रामसिंह 5 कमलसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति पुरोहित निवासी पिण्डिया का तला, आंटी तहसील व जिला बाड़मेर 6 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा स्टेशन रोड बाड़मेर 7 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री डूंगरसिंह महेचा वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 22/10/19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पिण्डियों का तला पटवार क्षैत्र आंटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 58 व 59 कुल रकबा 77.03 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 190.00 बीघा में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण उपवर्णित भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा उनके पत्रांक भूअ./ 19/5183 दिनांक 18.10.2019 के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण के मौजा पिण्डियों का तला पटवार क्षैत्र आंटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 58 व 59 कुल रकबा 77.03 बीघा भूमि से मुख्यमार्ग तक जाने हेतु ग्राम पिण्डियों का तला खसरा संख्या 10 रकबा 190.00 बीघा में से रकबा 01.05 बीघा भूमि है, जो मौके पर खाली है, इसके अतिरिक्त कोई नजदीकी विकल्प नही पाया गया।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तथा मौके पर भूमि खाली है। इसके अतिरिक्त कोई नजदीकी विकल्प नही पाया गया।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थीगण को आने–जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मौजा पिण्डियों का तला पटवार क्षैत्र आंटी तहसील

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 58 व 59 कुल रकबा 77.03 बीघा भूमि से मुख्यमार्ग तक जाने हेतु ग्राम पिण्डियों का तला खसरा संख्या 10 रकबा 190.00 बीघा में से रकवा 01.05 बीघा, जो संलग्न नक्शा में बरंग हरा दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थीगण राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थीगण पीरसिंह, हरीसिंह, मूलसिंह पिसरान रामसिंह, वरजू पत्नी रामसिंह, कमलसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति पुरोहित निवासी पिण्डिया का तला, आंटी तहसील व जिला बाडमेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 24.10.18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.12.24 17:07:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: